

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 189/18 (वाद)

GCMS No. : 2018/00055

1. श्री घीसुलाल पिता नारायण कलाल निवासी चंगेडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।

2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 19.11.2024

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 843 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 843 के पुराने आराजी नम्बर 1732/1 रकबा 4-15 चार बीघा पन्द्रह बिस्वा थे जो सम्वत् 2023 से 2026 की राजस्व जमाबन्दी में कालू, रामलाल, गहरीलाल, नाराण पिता भूरा कलाल के नाम पर हि०ब० खातेदारी हक से दर्ज थी। लेकिन वक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आदेश एवं अधिकार के आराजी नम्बर 1732/1 का नया आराजी 843 बनाकर किस्म चारागाह अंकित कर सम्वत् 2023 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया है तथा विशेष विवरण के कॉलम में मुझ वादी के पिता नारायण पिता भूरा कलाल को इस भूमि का अतिक्रमी बता दिया जो कानूनन गलत है। जबकि उक्त भूमि मुझ वादी के पिता नारायण पिता भूरा कलाल को भाई बंटवाड़ा में प्राप्त हुई थी और इस जमीन पर पहले मुझ वादी के पिता उनके जीवनकाल में निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मुझ वादी के पिता नारायण जी के देहावसान



के बाद मैं वादी उनका एकमात्र विधिक वारिस होकर उनसे विरासत में प्राप्त उक्त वर्णित भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांति पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ।

3. यह कि मुझ वादी के पिता उनके जीवनकाल में एवं मुझ वादी के पिता के देहावसान के पश्चात् में वादी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ और मैं वादी एवं मेरे पिता ने उक्त भूमि को आवादान एवं विकसित करने में परिवार सहित श्रम एवं धन खर्च किया है और भूमि को विकसित बनाया है और मैं वादी लगातार निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हूँ और उक्त भूमि पर वर्तमान में भी मैं वादी ही काबिज हूँ तथा जमीन की पिलाई के लिये इस जमीन एक ट्यूबवेल भी मुझ वादी ने खुदवाया है और परिवारजन के रहने के लिये इस जमीन पर मुझ वादी ने एक झोपड पट्टी का भी निर्माण किया है जिसमें मैं वादी अपने परिवारजन सहित निवास करता आ रहा हूँ तथा मुझ वादी की आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है तथा कृषि कार्य से जो आय प्राप्त होती है उससे ही मुझ वादी के परिवारजन का भरण पोषण होता है। इसके अलावा मुझ वादी के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।
4. यह कि मुझ वादी ने उक्त भूमि को मेरे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित राजस्व अधिकारीयों को भी निवेदन किया। लेकिन उक्त भूमि आज तक मुझ वादी के नाम पर दर्ज नहीं की है। इस दौरान उक्त आराजी नम्बर 843 नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ के नाम पर दर्ज कर दी गयी, जबकि उपरोक्त भूमि पूर्व में मुझ वादी के पिता की खातेदारी में दर्ज थी जिस पर मुझ वादी के पिता उनके जीवनकाल में काबिज थे और उनके मरने के बाद मैं वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। इसलिये मैं वादी उपरोक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ।
5. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर मुझ वादी के पिता एवं मुझ वादी के पिता के देहावसान के बाद मुझ वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और मैं वादी ही काबिज उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ और मौसमवार फसलो की बुवाई, कटाई करता आ रहा हूँ और मुझ वादी एवं मेरे पिता ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में लाखों रूपयों का खर्चा किया है और भी को आवादान की है, पानी का ट्यूबवेल खुदवाया है। इसलिये मैं वादी उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को

- अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। जिसके लिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।
6. यह कि मुझ वादी ने वाद पत्र में वर्णित आराजी को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु नियमानुसार दिनांक 05.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस दिया था जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया। लेकिन आज दिन तक उक्त भूमि मुझ वादी के नाम पर दर्ज नहीं की गई। जिस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा है।
 7. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.05.2018 को उत्पन्न हुआ जब संबंधित राजस्व अधिकारियों को उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी के नाम पर अंकित करने से मना कर दिया एवं दिनांक 05.06.2018 को प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस दिया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया उसके पश्चात् भी भूमि मुझ वादी के नाम दर्ज नहीं की, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
 8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि मौजा चंगेडी, पटवार हल्का चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 843 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खेवटी खतौनी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।
 9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज होने से वादी का किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं बनता हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा हैं जिसके लिए वादी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किया गया हैं। वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हेतु दावा किया है जबकि वादी को धारा 91 के तहत बेदखल किया जा चुका है जिसके तहत वादी का लम्बे समय से भूमि निर्बाध रूप से कब्जा नहीं रहा हैं। वादी द्वारा राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है जिसके तहत वादी को राजकीय भूमि अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार आप माननीय

न्यायालय को नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार से परे होने से वाद खारिज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे क्योंकि वाद पत्र में बताई गई आराजीयात न तो वादी के नाम पर है न ही उसमें उसका हिस्सा है। वादी उक्त आराजीयात में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी हैं।

10. वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज होना स्वीकार है परन्तु वादी का कब्जा पिता के जीवन काल में एवं मुझ वादी के पिता के देहावसान के पश्चात् वादी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है वादी एवं उसके पिता ने उक्त भूमि को आवादान एवं विकसित करने परिवार सहित धन एवं श्रम खर्च किया है उक्त भूमि के पुराने साबिक आराजी नम्बर 1732/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा थे जो सम्वत् 2023 से 2026 की राजस्व जमाबन्दी में कालु, रामलाल, गहरीलाल, नारायण पिता भुरा कलाल के नाम हि.ब. खातेदारी हक से दर्ज थी लेकिन वक्त सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 1732/1 का नया आराजी नम्बर 843 बनाकर किस्म चारागाह अंकित कर सम्वत् 2023 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया किन्तु कब्जा वादी के पिता एवं उनके देहावसान के बाद वादी का ही कब्जा चला आ रहा है वर्तमान में भी वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में हैं। वादी अपने पिता के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने न ही अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा है न ही वादी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किया गया है न ही ऐसी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज पत्रावली में पेश किया है। वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी एवं अपने पिता के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम घोषणा हेतु वाद पेश किया है वादी का कब्जा भी पिता के देहावसान के बाद लम्बे समय से भूमि निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादी अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी की कृषि भूमि को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है जो राजस्व अधिकारियों की गलती की/भूलवश से राजकीय भूमि दर्ज की गयी थी जबकि वादी ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। कृषि भूमि की खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय आप न्यायालय को प्राप्त होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश है। अन्त में निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र

स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

11. अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
12. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

13. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2069—72 के खाता संख्या 752 पर दर्ज आराजी नम्बर 843 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह दर्ज हैं। नामान्तकरण संख्या 2915 दिनांक 14.01.2018 से नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हुई। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता एवं अन्य सहखातेदार के

नाम दर्ज थी परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा बिना किसी आदेश के चारागाह अंकित कर दिया गया है। वादी द्वारा सेटलमेन्ट विभाग के सम्वत् 2023 का खसरा पत्रक पेश किया गया जिसमें उक्त भूमि को कॉलम संख्या 23 के अनुसार गत भू माप में भी उक्त भूमि को चारागाह बताया गया है तथा वर्तमान भू माप में भी चारागाह अंकित किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात वर्तमान में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हैं। नगरपालिका के नाम दर्ज होने से पूर्व उक्त भूमि चारागाह दर्ज थी। वादी के कथनानुसार उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भू-प्रबन्धन से पूर्व वादी के पास थे लेकिन भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा उक्त भूमि को चारागाह घोषित कर दिया। भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा तत्कालीन भू-प्रबन्धन कार्य के दौरान उक्त वाद वर्णित भूमि चारागाह भूमि होने के कारण खातेदारी से पुनः चारागाह दर्ज कर दिया गया। चूंकि चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि हैं एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री घीसुलाल पिता नारायण कलाल निवासी चंगेडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।

2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 189/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00055

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली